कार्यालय जनता पालीटेक्निक जहांगीराबाद, भईपुर (बुलन्दशहर) उ0प्र0 – 203391

पत्र संख्या : ज0पा0/ 301 /2019–20 दिनांक : 24 /07/2019

–: सूचना :–

संस्था के पत्रांक ज0पा0/266/2008–09 दिनांक 22–07–2008, पत्रांक ज0पा0/290/2010–11 दिनांक 21–07–2010, पत्र सं0 ज0पा0/851/2013–14 दिनांक 15–02–2014 एवं निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर के पत्र सं0 415–69/स0नि0प्रा0शि0/रैगिंग/08 लखनऊ दिनांक 24 जून 2008 तथा प्रमुख सचिव उ0 प्र0 शासन के आदेश संख्या 821/सोलह– 1–2009–1–250/96 दिनांक 25 मार्च 2009 एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों/उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 400/79–वि–1–10–1 (क)–11–2010 दिनांक 19 मार्च 2010 एवं अन्य पत्रों द्वारा निर्देश प्रदान किये गये हैं कि प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को संस्था में ऐसा वातावरण प्राप्त हो, जिससे अपने को संरक्षित महसूस करते हुए प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। निदेशक महोदय ने संस्थाओं से रैगिंग की प्रवृत्ति पर पूर्ण रूप से रोक लगाने की अपेक्षा की है तथा कुछ बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिये जाने के निर्देश प्रदान किये हैं। इस संदर्भ में समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि–

1. संस्था में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबन्धित है एवं रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है।
2. पूर्व में दिनांक 26–06–2008 को संस्था में विभागाध्यक्षों एवं वरिष्ठ सहायक के साथ रैगिंग निरोध के संदर्भ में सम्पन्न हुई बैठक एवं निदेशक महोदय के निर्देशानुसार निम्नलिखित रैगिंग विरोधी दस्ते का गठन किया जाता है, समिति उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार एवं निदेशक महोदय के निर्देशानुसार रैगिंग रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी।

(i) श्री नरेश बंसल, वरि0 व्या0 इलैक्ट्रोनिक्स, प्रभारी
(ii) डा0 वाजिद अली, व्या0 वाणिज्य, विभाग प्रभारी एम.ओ.एम.एस.पी.
(iii) श्री अनिल कुमार, व्या0 फार्मेसी
(iv) श्री सैनपाल , कर्मशाला अनुदेशक
(v) श्री सुखपाल सिंह, कर्मशाला अनुदेशक
(vi) श्री राजेश कुमार, लाइब्रेरियन
(vii) श्री काशी प्रसाद, टाइप मैकेनिक

3. प्रोक्टोरियल बोर्ड का गठन संस्था में पूर्व से ही है। अतः चीफ प्रोक्टर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे रैगिंग रोकने हेतु एवं अनुशासन बनाये रखने हेतु आवश्यक कदम उठायें।

(i) श्री सैनपाल, चीफ प्रोक्टर (कर्मशाला अनुदेशक)
(ii) श्री सुखपाल सिंह, सहायक चीफ प्रोक्टर (कर्मशाला अनुदेशक)

4. निदेशक महोदय के उक्त पत्र के निर्देशानुसार शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रखने हेतु विभाग प्रभारी फार्मेसी श्री सुधीर कुमार पाण्डेय शैक्षिक प्रभारी के नियंत्रक होगें, जो शिक्षण कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतू आवश्यक कार्यवाही संचालित करेंगें।
5. निदेशक महोदय के निर्देशानुसार समस्त विभागाध्यक्षों/विभाग प्रभारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रथम, द्वितीय एवं अन्तिम वर्ष के अलग–अलग कक्षा अध्यापक नियुक्त करें, जो यह सुनिश्चित करेंगें कि उसके नियन्त्रणाधीन छात्र/छात्रायें चल रहे पीरियड को छोड़कर इधर–उधर इकटठा तो नहीं बैठे हैं। ऐसी स्थिति में वे उन्हें चल रहे पीरियड के अध्यापन हेतु निर्देशित करेंगें।
6. निदेशक महोदय के निर्देशानुसार विभागाध्यक्ष/विभाग प्रभारी अपनी सकाय मे बर्षवार प्रत्येक पाठयक्रम के 15 छात्र/छात्राओं पर एक शिक्षक को Guardian शिक्षक के रूप में नियुक्त करें, जो अपने संरक्षण में छात्र/छात्राओं को समुचित मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ–साथ छात्र/छात्राओं की समस्याओं को विभागाध्यक्ष/प्रधानाचार्य के संज्ञान में लाते हुए नियमों के अधीन निराकरण हेतु हर संभव प्रयास करेंगे।
7. संस्था के समस्त विभागाध्यक्ष/विभाग प्रभारी संस्था में प्रवेश लेने वाले सभी छात्र/छात्राओं एवं उनके अभिभावकों से इस आशय से घोषणा पत्र प्राप्त करें कि वे किसी भी स्थिति में रैगिंग में सम्मिलित नहीं होगें एवं यदि उन्हें रैगिंग में सम्मिलित पाया जाता है तो उनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने पर उसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होगें।

(वरूण दत्त)
प्रधानाचार्य

प्रधानाचार्य
जनता पालीटेक्निक
जहांगीराबाद, बुलन्दशहर

प्रतिलिपि समस्त विभागाध्यक्ष/विभाग प्रभारियों/चीफ प्रोक्टर/रैगिंग विरोधी दस्ते के समस्त सदस्यों/वेब साइट प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(वरूण दत्त)
प्रधानाचार्य

प्रधानाचार्य
जनता पालीटेक्निक
जहाँगीराबाद, बुलन्दशहर